रजिस्ट्रेशन सं. डी. एल.—33004/96 REGN. NO. D. L.—33004/96

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 136] नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 29, 1996/चैत्र 9, 1918
No. 136] NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 29, 1996/CHAITRA 9, 1918

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय

(विधायी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 मार्च, 1996

सा. का. नि. 164(अ):— राष्ट्रपति द्वारा किया गया निम्नलिखित आदेश सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है :—

"सं. आ. 161"

संविधान (राजस्व वितरण) आदेश, 1996

राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 275 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, वित्त आयोग की सिफारिशों पर विचार करने के पश्चात् निम्नलिखित आदेश करते हैं, अर्थात् :—

1. इस आदेश का संक्षिप्त नाम संविधान (राजस्व वितरण) आदेश, 1996 है।

2. साधारण खंड अधिनियम, 1897 (1897 का 10) इस आदेश के निर्वचन के लिए उसी प्रकार लागू होगा जिस प्रकार यह केन्द्रीय अधिनियम के निर्वचन के लिए लागू होता है।

3 (1) अनुच्छेद 275 के खंड (1) के उपबंधों के अनुसार 1 अप्रैल, 1995 को प्रारंभ होने वाले वित्तीय वर्ष में नीचे विनिर्दिष्ट प्रत्येक राज्य के राजस्वों में सहायता अनुदान के रूप में उसके सामने विनिर्दिष्ट राशियां जो राज्यों में प्राकृतिक विपत्तियों के संबंध में सहायता देने के लिए राज्य विपत्ति सहायता कोष में केन्द्रीय सरकार का अंशदान है, भारत की संचित निधि पर भारित होगी :—

| राज्य | रुपए लाखों में |
|---|---|
| (1) | (2) |
| 1. आंध्र प्रदेश | 11119.50* |
| 2. अरुणाचल प्रदेश | 498.00 |
| 3. असम | 3540.00 |
| 4. बिहार | 3678.00 |
| 5. गोवा | 76.00 |

| (1) | (2) |
|---|---|
| 6. गुजरात | 9882.00 |
| 7. हरियाणा | 1774.00 |
| 8. हिमाचल प्रदेश | 1908.00 |
| 9. जम्मू-कश्मीर | 1395.00 |
| 10. कर्नाटक | 2962.00 |
| 11. केरल | 5999.50* |
| 12. मध्य प्रदेश | 3616.00 |
| 13. महाराष्ट्र | 4828.00 |
| 14. मणिपुर | 176.00 |
| 15. मेघालय | 197.00 |
| 16. मिजोरम | 90.00 |
| 17. नागालैंड | 120.00 |
| 18. उड़ीसा | 4388.00* |
| 19. पंजाब | 3833.00 |
| 20. राजस्थान | 12674.00 |
| 21. सिक्किम | 333.00 |
| 22. तमिलनाडू | 4201.00 |
| 23. त्रिपुरा | 318.00 |
| 24. उत्तर प्रदेश | 8857.00 |
| 25. पश्चिम बंगाल | 3633.00 |

*जिसमें केन्द्र के शेयर के रूप में वर्ष 1996-97 के लिए क्रमश: ग्रान्ध्र प्रदेश, केरल ग्रौर उड़ीसा को विपत्ति सहायता कोष के लिए 2328.50 लाख रुपए, 2077.50 लाख रुपए ग्रौर 919.00 लाख रुपए शामिल है।

परन्तु उपर विनिर्दिष्ट राशियां 1 ग्रप्रैल, 1995 को प्रारंभ होने वाले वित्तीय वर्ष में राज्यों में प्राकृति विपत्तियों के संबंध में सहायता देने के उपायों पर व्यय की आएगी।

परन्तु यह ग्रौर कि यदि सहायता उपायों पर वास्तविक व्यय जैसा कि उस वर्ष के लेखाग्रों में प्रकट किया गया हो, उपर विनिर्दिष्ट राशियों से कम हैं, तो ग्रतिशेष राज्य सरकार को ग्रगली योजना के लिए स्रोत के रूप में रखे जाने के लिए उपलब्ध होगा।

(2) 1 ग्रप्रैल, 1995 को प्रारंभ होने वाले वित्तीय वर्ष में किसी राज्य को उप-पैरा (1) के ग्रधीन संदेय कोई राशि या राशियां, संविधान (राजस्व वितरण) सं. 2 ग्रादेश, 1995 के पैरा 3 के उपपैरा (1) के ग्रनुसरण में उस वित्तीय वर्ष में उस राज्य को संदेय राशि या राशियों के ग्रतिरिक्त होगी।

([illegible])
राष्ट्रपति

[फा. सं. 19 (1) /96 वि.-1]
के. एल. मोहनपुरिया, सचिव

## MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS

(Legislative Department)

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th March, 1995

G.S.R. 164(E).—The following Order made by the President is published for general information:—

"C.O. 161"

### THE CONSTITUTION (DISTRIBUTION OF REVENUES) ORDER, 1996

In exercise of the powers conferred by article 275 of the Constitution, the President, after having considered the recommendations of the Finance Commission hereby makes the following Order, namely:—

1. This Order may be called the Constitution (Distribution of Revenues) Order, 1996.

2. The General Clauses Act, 1897 (10 of 1897) shall apply for the interpretation of this Order as it applies for the interpretation of a Central Act.

3. (1) In accordance with the provisions of clause (1) of article 275, there shall be charged on the Consolidated Fund of India, in the financial year commencing on the 1st day of April, 1995 as grants-in-aid of the revenues of each of the State specified below, the sums specified against it as representing the contribution of the Central Government towards State Calamity Relief Funds for affording relief in connection with natural calamities in the States:

| State | (Rupees in lakhs) |
|---|---|
| (1) | (2) |
| 1. Andhra Pradesh | 11119.50* |
| 2. Arunachal Pradesh | 498.00 |
| 3. Assam | 3540.00 |
| 4. Bihar | 3678.00 |
| 5. Goa | 76.00 |
| 6. Gujarat | 9882.00 |
| 7. Haryana | 1774.00 |
| 8. Himachal Pradesh | 1908.00 |
| 9. Jammu & Kashmir | 1395.00 |

| (1) | | (2) |
|---|---|---|
| 10. | Karnataka | 962.00 |
| 11. | Kerala | 5999.50* |
| 12. | Madhya Pradesh | 3016.00 |
| 13. | Maharashtra | 4828.00 |
| 14. | Manipur | 176.00 |
| 15. | Meghalaya | 197.00 |
| 16. | Mizoram | 90.00 |
| 17. | Nagaland | 120.00 |
| 18. | Orissa | 4388.00* |
| 19. | Punjab | 3833.00 |
| 20. | Rajasthan | 12674.00 |
| 21. | Sikkim | 333.00 |
| 22. | Tamil Nadu | 4201.00 |
| 23. | Tripura | 318.00 |
| 24. | Uttar Pradesh | 8857.00 |
| 25. | West Bengal | 3633.00 |

*Includes advance release of Centre's share of Rs. 2328.50 lakhs 2077.50 lakhs and Rs. 919.00 lakhs towards Calamity Relief Fund of Andhra Pradesh, Kerala and Orissa respectively for 1996-97.

Provided that the sums specified above shall be expended in the financial year commencing on the 1st day of April, 1995 on measures for affording relief in connection with natural calamities in the States:

Provided further that if the actual expenditure on relief measures as revealed in the accounts of that year, is lower than the sums specified above, the balance shall be available to the State Government for being kept as a resource for the next plan.

(2) Any sum or sums payable under sub-paragraph (1) to any State, in the financial year commencing on the 1st day of April, 1995 shall be in addition to the sum or sums payable to that State in that financial year in pursuance of sub-paragraph (1) of paragraph 3 of the Constitution (Distribution of Revenues) No. 2 Order, 1995.

(SHANKAR DAYAL SHARMA)
President

[F.No. 19(1)/96 L.I.]
K. L. MOHANPURIA, Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Maya Puri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1996